भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4385

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>सी.ए. परीक्षा का आयोजन</u>

4385. श्री के. एन. रामचन्द्रन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई), इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई) पर प्रश्न पत्र तय करने, परीक्षा कराने और पेपर मूल्यांकन और परिणामों सहित किसी प्रकार का कोई अधिकार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार सी.ए. और आईसीडब्ल्यूए परीक्षा के लिए उत्तीर्णता संबंधी प्रतिशतता निर्धारित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आईसीएआई और आईसीडब्ल्यूएआई को कार्यकारी समिति के कुछ सदस्यों ने विदेश यात्रा की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या प्रयोजन था?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ग) : जी, नहीं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान द्वारा प्रश्न पत्र तैयार करने, मूल्यांकन, पास प्रतिशतता, परिणामों की घोषणा आदि सहित परीक्षाओं के संचालन से संबंधित सभी कार्यकलाप संस्थानों द्वारा स्वयं ही किए जाते हैं। तदनुसार, इन परीक्षाओं की पास प्रतिशतता के निर्धारण आदि में केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(घ) : सूचना एकत्र की जा रही है।

*****